Extension of timelines (PARs 2024-2025)
संख्या-6/2025/1017262/02-5099/43/2025

प्रेषक,

विजय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 07-07-2025

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2024-2025 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु **समय-सीमा बढ़ाये जाने के** संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अगवत कराया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए Recording of PAR for year 2024-2025 पूर्ण किये जाने हेतु 15 दिवस का समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया गया है ।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 30.06.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि AIS (PAR) Rules, 2007 के प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2024-2025 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अन्तर्गत अपना मन्तव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

Activity	Cut off dates		
	Existing	Revised	Further Revision
Self appraisal for current year	31st May, 2025	30th June, 2025	**15st July, 2025**
Appraisal by Reporting authority	31st July, 2025	31st August, 2025	**15th September, 2025**
Appraisal by Reviewing authority	30th September, 2025	31st October, 2025	**15th November, 2025**
Appraisal by Accepting authority	31st December, 2025	31st December, 2025	31st December, 2025

संलग्नक:यथोक्त ।

भवदीय,
(विजय कुमार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-

1- कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित ।

2- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

http://hsaaehu.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Extension of timelines (PARs 2024-2025)

प्रेषक,

विजय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।	2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। 5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)	4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक:07-07-2025

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2024-2025 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु **समय-सीमा बढ़ाये जाने के** संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अगवत कराया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए Recording of PAR for year 2024-2025 पूर्ण किये जाने हेतु 15 दिवस का समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया गया है ।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 30.06.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि AIS (PAR) Rules, 2007 के प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2024-2025 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अन्तर्गत अपना मन्तव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

Activity	Cut off dates		
	Existing	Revised	Further Revision
Self appraisal for current year	31st May, 2025	30th June, 2025	**15st July, 2025**
Appraisal by Reporting authority	31st July, 2025	31st August, 2025	**15th September, 2025**

Appraisal by Reviewing authority	30th September, 2025	31st October, 2025	**15th November, 2025**
Appraisal by Accepting authority	31st December, 2025	31st December, 2025	31st December, 2025

संलग्नक:यथोक्त ।

Digitally signed by VIJAY KUMAR
Date: 07-07-2025 18:21:47

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-

1- कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित ।

2- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

F. No.11059/04/2025-AIS-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
****

North Block, New Delhi
Dated: 30th June, 2025

To,

The Chief Secretaries of States / UTs

Subject:- Extension of timelines for recording of PARs for the year 2024-25 in respect of AIS (IAS/IPS/IFS) officers by the Reporting / Reviewing / Accepting Authorities only - reg.

Sir / Madam,

I am directed to refer to DoPT's letter 16.05.2025 regarding extension of timelines for recording of PARs for the year 2024-25. In this regard, it has been decided with the approval of the Competent Authority to further extend the timelines for recording PAR for the year 2024-25 by 15 days, in relaxation of Rule 5(1) read with Schedule 2 of AIS (PAR) Rules and 7A so as to give sufficient time to each authority, as indicated below: -

Activity	Cut off dates		
	Existing	Revised by vide letter dated 16th May, 2025	Further Revision
Self Appraisal for current year	31st May, 2025	30th June, 2025	15th July, 2025
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2025	31st August, 2025	15th September, 2025
Appraisal by Reviewing Authority	30th September, 2025	31st October, 2025	15th November, 2025
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2025	31st December, 2025	31st December, 2025

2. Notwithstanding anything contained herein, no remarks may be recorded after 31st December, 2025 in the PAR of AIS officers for the PAR year 2024-25, in accordance with the 2nd proviso of Rule 5(1) of AIS (PAR) Rules, 2007, as amended.

3. The aforesaid relaxation is accorded as a onetime measure only.

Chauhan

(Kavita Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23093479

Copy for information and necessary action to :-

(5) All Ministries /Departments of Government of India.

(6) Ministry of Home Affairs, being Cadre Controlling Authority for IPS, North Block, New Delhi.

(7) Ministry of Environment, Forest & Climate Change, being Cadre Controlling Authority for IFoS, Lodhi Road, Jor Bagh, New Delhi

(8) The Under Secretary, EO(PR) Section, DOPT - for information and necessary action

(5) NIC, DOPT - for uploading on DOPT's website